अत्यन्त महत्वपूर्ण
समय–सीमा

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रं. 4979 22 / वि–6 / आईएपी / 13 भापाल,दिनाक 9 / 04 / 2013

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत ————(समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय : कपिलधारा उपयोजना के प्रभाव के आंकलन अध्ययन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जानकारी बाबत्।

–0–

विषयांतर्गत म.गॉ. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की कपिलधारा उपयोजना के प्रभाव के आंकलन अध्ययन हेतु विभाग द्वारा जिला–शहडोल में पदस्थ पीएमआरडीएफ्स को निर्देशित किया गया है। इस अध्ययन हेतु निर्धारित संदर्भ शर्तों के अनुरूप जिले में कपिलधारा योजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की सूची से 20 प्रतिशत हितग्राहियों का रेंडम आधार पर चयन किया जाकर संबंधित हितग्राहियों से संपर्क उपरांत एवं स्थल निरीक्षण कर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में जानकारी एकत्रित करना होगी। यह कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा समय–सीमा का है। अतः इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :

1. **रेंडम आधार पर हितग्राहियों का चयन** : मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा जिले में कपिलधारा उपयोजनांतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों की जनपद पंचायतवार सूची से 20 प्रतिशत हितग्राहियों का चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा। चयनित हितग्राहियों की सूची एवं निर्धारित प्रपत्र की पर्याप्त प्रतियॉ (मुद्रित / छायाप्रति) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अग्रिम कार्रवाई हेतु दिनॉक 15.04.2013 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।
2. **सर्वे / निर्धारित प्रपत्र में जानकारी का संकलन** : मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का यह दायित्व होगा कि जिला पंचायत से प्राप्त चयनित हितग्राहियों की सूची के अनुसार संबंधित ग्राम् पंचायतों के सचिवों की बैठक बुलाकर उन्हें उनकी ग्राम पंचायत से संबंधित हितग्राहियों की सूची तथा तद्नुसार निर्धारित प्रपत्र की पर्याप्त प्रतियॉ, प्रपत्र भरने के संबंध में पूर्ण समझाइश देकर उपलब्ध कराएंगे तथा एक सप्ताह की समय–सीमा के अंतर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि समस्त प्रपत्र भलीभांति भरे गए हों तथा प्रपत्र में अपेक्षित सम्पूर्ण जानकारी प्रदाय की गई हो। इस कार्य में मॉनिटरिंग हेतु जनपद पंचायत अंतर्गत पंचायत समन्वय अधिकारियों का उपयोग किया जा सकता है। जिला पंचायत से प्राप्त सूची अनुसार समस्त प्रपत्र पूर्ण किए जाकर दिनॉक 22.4.2013 तक अनिवार्य रूप से वापस जिला पंचायत में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. **सर्वे उपरांत भरे गए प्रपत्रों का मनरेगा परिषद् भोपाल में संकलन** : जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत किसी अधिकारी को उक्त जानकारी संकलन हेतु नोडल अधिकारी नामांकित करेंगे। नोडल अधिकारी का दायित्व होगा कि निर्धारित समय–सीमा में जिले की समस्त जनपद पंचायतों से जानकारी संकलित कर जिले द्वारा उपलब्ध कराई गई रेंडम आधार पर चयनित हितग्राहियों की सूची से मिलान करने के

उपरांत सूची एवं सर्वे प्रपत्र दिनॉक 25.04.2013 तक विशेष वाहक द्वारा मनरेगा परिषद् कार्यालय, नर्मदा भवन, भोपाल को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4. मनरेगा परिषद् कार्यालय स्तर पर जानकारी का संकलन : मनरेगा परिषद् कार्यालय, नर्मदा भवन, भोपाल में प्रदेश के समस्त जिलों की जानकारी संकलित करने हेतु **श्री आशीष उपाध्याय, सहायक सांख्यिकी अधिकारी,** (कार्यालयीन दूरभाष– 0755 2559964, मोबाइल नं. 9200859175) को नोडल अधिकारी नामांकित किया जाता है। श्री उपाध्याय दिनॉक 30.04.2013 तक प्रदेश के समस्त जिलों की जानकारी समेकित कर जिला शहडोल में कार्यरत पीएमआरडीएफ **श्री राजेश सिंह** (मोबाइल नं.– 8602224111) एवं **कु.रजनी पवित्थरन** (मोबाइल नं.– 9826114636) को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न [उपरोक्तानुसार प्रपत्र।
सैम्पल चयन हेतु मार्गदर्शिका

(डॉ. राजेश राजौरा)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रं. 4889/22/वि–6/आईएपी/13 भोपाल,दिनांक 8/04/2013

प्रतिलिपि :

1 विकास आयुक्त, विन्ध्याचल भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, म.गॉ. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3 कमिश्नर, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4 कलेक्टर, जिला समस्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
5 **श्री आशीष उपाध्याय,** सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मनरेगा परिषद्, नर्मदा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
6 **श्री राजेश सिंह**, पीएमआरडीएफ, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7 **कु.रजनी पवित्थरन**, पीएमआरडीएफ, शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

सचिव, 8/4
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय जिला पंचायत....., म0प्र0

कपिलधारा प्रभाव आंकलन अध्ययन

दिनांक–

1. जन सांख्यकीय विवरण

जिला –	जनपद –
ग्राम पंचायत –	ग्राम –
उत्तरदाता का नाम –	परिवार का मुखिया –
जॉबकार्ड क्र. –	राशन कार्ड क्र. – (रंग)

क्र.	1.1 परिवार के सदस्यों का नाम	1.2 आयु	1.3 लिंग (म.–1, पु.–2)	1.4 जाति	1.5. शिक्षा	1.6. व्यवसाय	1.7. वित्तीय समावेश	
				अजा–1 / अजजा–2 / पिवर्ग–3 / अन्य–4			बैंक शाखा / खाता क्र.	पोस्ट ऑफिस / खाता क्र.

भूमि एवं सम्पत्ति का विवरण

1.8 कुल स्वामित्व भूमि					1.9 कृषि योग्य भूमि	1.10 सिंचित भूमि	1.11 असिंचित भूमि	1.12 आवास का प्रकार	1.13 इं.आ.यो. / अन्य आवासीय योजना का लाभ प्राप्त हुआ अथवा नहीं (यदि हॉ तो वर्ष लिखें)
1 हे.	2 हे.	2. 1 से 5 हे.	5.1 से 10 हे.	10.1 हे. से ज्यादा					

2. *कपिलधारा संरचना/जानकारी/स्थिति*

क्र.	प्रश्न	कोड
2.1	संरचना	
2.2	कपिलधारा स्वीकृति का वर्ष	
2.3	कपिलधारा की जानकारी का स्त्रोत	
2.4	क्या आपने कपिलधारा के लिये आवेदन किया	
2.5	क्या आपने ग्राम सभा में कपिलधारा की मांग की	
2.6	कपिलधारा निर्माण के पूर्व उपयंत्री/पटवारी/कृषि विभाग के निरीक्षण कर्ता द्वारा खेत का निरीक्षण किया गया	
2.7	यदि हॉ तो निरीक्षण कर्ता द्वारा आपको भौगोलिक स्थिति के अनुसार उचित संरचना के तकनीकी निर्देश प्राप्त हुए	
2.8	क्या आप जानते हैं कि कपिलधारा की स्वीकृति लागत कितनी है	
2.9	अगर हां तो लागत कितनी है	
2.10	क्या आपको नक्शे की प्रति प्राप्त हुई	
2.11	यदि कपिलधारा कूप का निर्माण हुआ है तो क्या साथ में रिचार्ज पिट का निर्माण किया गया है।	
2.12	रिचार्ज पिट की वर्तमान स्थिति	
2.13	क्या आपको विद्युत/डीजल पम्प प्राप्त हुये हैं (यदि पात्र हितग्राही है तो)	
2.14	निर्माण कार्य किसके द्वारा किया गया	
2.15	क्या आपने कपिलधारा निर्माण में भाग लिया	
2.16	यदि कपिलधारा अपूर्ण है तो क्या कारण है	
2.17	निर्माण के दौरान पथरीली जमीन पाये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण पूर्णता के लिये क्या कार्यवाही की गई	
2.18	निर्माण कार्य के उपरांत विफल पाये जाने पर क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा इस बात को स्वीकार कर क्या कागजी कार्यवाही गई	
2.19	निर्माण कार्य के उपरांत पानी प्राप्त न होने पर संरचना को सफल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई	
2.20	पानी की उपलब्धता की स्थिति	
2.21	क्या आप निर्माण कार्य से संतुष्ट हैं	
2.22	यदि नहीं तो क्या कमियां हैं	
2.23	निर्माण स्थल पर सूचना पटल लगाया गया है हॉ/नहीं	

कोड–

प्रश्न 2.1– कूप=1, खेत तालाब=2, स्टाप डैम=3, मेशनरी चेक डैम=4, आरएमएस=5 लघु तालाब=6,
प्रश्न 2.3– सरपंच=1, सचिव=2, ग्राम सभा=3, जनपद=4, ग्राम पंचायत=5, जिला पंचायत=6
प्रश्न 2.4– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.5– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.6– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.7– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.8– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.9– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.10– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.11– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.12– उपयोगी=1, अनुपयोगी=2
प्रश्न 2.13– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.14– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.15– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.16–कम मजदूरी दर=1, कठोर चट्टान=2, मजदूरी भुगतान में देरी=3, जमीन का धसकना=4 कम तकनीकी स्वीकृति के कारण=5
प्रश्न 2.17–विस्फोटक के इस्तेमाल से चट्टान हटाना=1, तकनीकी स्वीकृति में संशोधन=2, काम बीच में छोड़ देना=3
प्रश्न 2.18– जानकारी नहीं=2, हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.19–तकनीकी स्वीकृति में संशोधन=1, काम यथा स्थिति में छोड़ना=2, हितग्राही द्वारा पूर्ण किया गया=3
प्रश्न 2.20– साल भर=1, सिर्फ वर्षा के समय=2, गर्मी को छोड़कर=3
प्रश्न 2.21– हॉ=1, नहीं=0
प्रश्न 2.22– पानी न मिलना=1, जगत का न होना=2, बंधाई न होना=3, अन्य कोई कारण =4
प्रश्न 2.23– हॉ=1, नहीं=0

3. कपिलधारा की जानकारी (कार्यालय द्वारा भरी जाए)

स.क.	प्रश्न	उत्तर
3.1	प्रशासकीय स्वीकृति कमांक, दिनांक एवं लागत	
3.2	तकनीकी स्वीकृति	
3.3	तकनीकी स्वीकृति में संशोधन	
3.4	कार्य पूर्णता दिनांक	
3.5	सृजित मानव दिवस	
3.6	पूर्णता प्रमाण पत्र	

4. कपिलधारा योजना का प्रभाव

4.1 क्या कपिलधारा संरचना के निर्माण के उपरांत भूमि का उपजाऊपन बढा है। हॉ/नहीं, (यदि हॉ तो सेक्शन 4.2 से 4.5) का उत्तर दीजिए।

4.2 कृषि एवं कृषि से संबंधित परिवर्तन –

4.2.1 कपिलधारा से पहले	4.2.1.1 कुल जमीन	4.2.1.2 कृषि योग्य भूमि	4.2.1.3 सिंचित भूमि	4.2.1.4 उपजाऊपन मात्रा एवं रकम	4.2.2 कपिलधारा के बाद	4.2.2.1 कुल जमीन	4.2.2.2 कृषि योग्य भूमि	4.2.2.3 सिंचित भूमि	4.2.2.4 उपजाऊपन मात्रा एवं रकम
रबी					रबी				
खरीफ					खरीफ				
जायद					जायद				

(रबी =गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मटर आदि, **खरीफ**=धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि, **जायद**=खीरा, तरबूज, लौकी, करेला आदि*)*

4.3 आमदनी में परिवर्तन –

आमदनी के स्त्रोत–कृषि संबंधी=1 / मजदूरी=2 / वेतनभोगी=3 / पशुधन=4 / मछलीपालन=5 / पलायन=6 / व्यवसाय=7 / लघु उद्योग=8 / कला एवं शिल्प=9 / वनोपज=10 / कृषि संबंधित क्रियाकलाप=11 / अन्य =12 (स्पष्ट कीजिए)

आमदनी के स्त्रोत	कपिलधारा के पूर्व	कपिलधारा के बाद
4.3.1 प्राथमिक आय के स्त्रोत		
4.3.2 द्वितीय आय के स्त्रोत		

4.4 सम्पत्ति की स्थिति – कपिलधारा से पूर्व एवं पश्चात

सम्पत्ति	4.4.1 पूर्व (संख्या लिखिए)	4.4.2 पश्चात (संख्या लिखिए)
गाय		
भैंस		
बकरी		
सायकल		
मोटर सायकल		
बैल गाड़ी		
ट्रैक्टर		
टी0वी0		
हल		
थ्रेसर		
मुर्गीपालन		
रेडियो		
मोबाईल फोन		

4.5 हितग्राही के अनुभव –

क्र.	प्रश्न	कोड – हाँ = 1, नहीं = 0
4.5.1	पानी की कमी के समय कपिलधारा ने फसल बचाया	
4.5.2	कपिलधारा ने सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया	
4.5.3	कपिलधरा ने फसल की विविधता को बढ़ाया	
4.5.4	कपिलधरा से फसल चक्र में परिवर्तन आया	
4.5.5	कपिलधारा ने फसल उपज को बढ़ाया है	
4.5.6	कपिलधारा ने कृषि में स्वरोजगार को बढ़ाया है	
4.5.7	कपिलधारा ने कृषि से होनेवाली आय को बढ़ाया है	
4.5.8	कपिलधारा ने पलायन को कम किया है	
4.5.9	कपिलधारा ने परिवार की उदार पात्रता को बढ़ाया है	
4.5.10	कपिलधारा की वजह से दूसरों से उधार लेना कम हुआ है	
4.5.11	कपिलधारा ने खाद के उपयोग को बढ़ाया है	
4.5.12	कपिलधारा ने नयी–नयी तकनीकों के उपयोग को बढावा दिया है	
4.5.13	कपिलधारा ने गॉव में आपके सामाजिक स्तर को बढाया है	

4.6 पलायन पर प्रभाव –

4.6.1 क्या आप काम के लिए दूसरे गॉव जिले या राज्य में पलायन करते हैं ? हॉ / नहीं ?

यदि हॉ तो नीचे दी गई तालिका को भरें --

पलायन विवरण	4.6.1.1 कपिलधारा के पूर्व	4.6.1.2 कपिलधारा के निर्माण के पश्चात
कुल सदस्य जो पलायन करते हैं		
कुल दिवस		

4.7 कपिलधारा एवं खाद्य सुरक्षा –

क्र.	विवरण	कोड
4.7.1	खाद्य सुरक्षा कपिलधारा के पूर्व (महीनों में)	
4.7.2	खाद्य सुरक्षा कपिलधारा के पश्चात (महीनों में)	

कोड़ – 1–3 माह = 1, 4–6 माह = 2, 7–9 माह = 3 10–12 माह = 4, अन्य = स्पष्ट कीजिए।

5- हितग्राही द्वारा लाभ ली गयी अन्य योजनायें –

5.1 क्या आपने नरेगा योजना अंतर्गत किसी अन्य उपयोजना का लाभ उठाया है ?

यदि हॉ तो स्पष्ट कीजिए :

नन्दन फलोद्यान= 1 / भूमि शिल्प= 2 / अन्य= 3

5.2 यदि आपको सरकारी सहायता मिले तो आप किस प्रकार के कार्यकलाप करना चाहेंगे ?

उद्यानिकी= 1/बकरी पालन= 2/अन्य सूक्ष्म उद्यम= 3,/दुग्ध उत्पादन = 4

6 **हितग्राही के सामाजिक आर्थिक स्तर पर कपिलधारा का प्रभाव –**

6.1 क्या आपके परिवार ने पिछले 6 साल में पैसा उधार लिया है ?

हॉ/नहीं (यदि हॉ तो नीचे दी गई तालिका को भरें)

वर्ष	6.1.1 उधार का स्त्रोत	6.1.2 उधार की रकम	6.1.3 उधार चुकाने में लगा समय
1	2	3	4
2007–08			
2008–09			
2009–10			
2010–11			
2011–12			
2012–13			

6.2 क्या कपिलधारा के वजह से आपके लिए ऋण लेना आसान हुआ है ?

निजी उधार दाताओं से = 1

संस्थागत उधारदाताओं से = 2

6.3 व्यय पर प्रभाव– नाममात्र की वृद्धि=1/पर्याप्त वृद्धि =2/महत्वपूर्ण वृद्धि =3/कमी हुई=4

क्र.	कपिलधारा के पश्चात घरेलू व्यय में बढोत्तरी हुई	हॉ/नहीं	रिमार्क
1	2	3	4
6.3.1	खाद्य वस्तुओं पर		
6.3.2	कपड़ों पर		
6.3.3	उधार चुकाने में		
6.3.4	घर के रख–रखाव में		
6.3.5	बच्चों की पढ़ाई पर		
6.3.6	परिवार के स्वास्थ्य के लिए		
6.3.7	सम्पत्ति निर्माण एवं खरीद		
6.3.8	सामाजिक कर्तव्य एवं कार्यक्रमों में		
6.3.9	मदिरा पान, तंबाकू एवं अन्य मादक वस्तुओं पर		

कोड– हॉ = 1 नहीं = 0

6.4 ग्रामसभा एवं सामाजिक स्वीकृति :–

क्र.	विवरण	कोड
1	2	3
6.4.1	कपिलधारा के पश्चात गॉव में सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि	
6.4.2	क्या आप नियमित तौर पर ग्रामसभा में भाग लेते हैं ?	
6.4.3	यदि दूसरे प्रश्न का उत्तर "हॉ" है तो क्या ग्राम सभा में आपके सुझावों को महत्व दिया जाता है ?	

प्रश्न– 6.41. कोई परिवर्तन नहीं = 2, हॉ = 1 नहीं = 0

प्रश्न – 6.4.2 2 हॉ = 1, नहीं = 0

प्रश्न – 6.4.3 कोई परिवर्तन नहीं = 2, हॉ = 1, नहीं = 0

6.5 पशुधन के चारे के लिए आप किस पर निर्भर हैं –

क्र.	प्रश्न	कोड
1	2	3
6.5.1	कपिलधारा के पूर्व चारे के लिए स्त्रोत	
6.5.2	कपिलधारा के पश्चात चारे के लिए स्त्रोत	

कोड़– प्रश्न 6.5.1 एवं 6.5.2 के लिए –

बाजार से = 1/कृषि उपज से= 2/ स्थानीय चारा गाह= 3

6.6 शिक्षा –

क्र.	प्रश्न	कोड
1	2	3
6.6.1	क्या आपके परिवार में स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चे हैं ?	
6.6.2	क्या वे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं ?	
6.6.3	यदि हॉ तो किस प्रकार के स्कूल में जाते हैं ?	
6.6.4	यदि वे निजी स्कूल में जाते हैं, तो कब से प्रवेश लिया है ?	
6.6.5	क्या आपको लगता है कि शिक्षा आवश्यक है ?	

कोड़– प्रश्न– 6.6.1– हॉ = 1 नहीं = 0

प्रश्न – 6.6.2– हॉ = 1 नहीं = 0

प्रश्न – 6.6.3– निजी स्कूल 1, शासकीय विद्यालय 2

प्रश्न – 6.6.5 हॉ = 1 नहीं = 0

हस्ताक्षर

Guidelines for Kapildhara Impact Assessment Study

The study is to be carried out in all fifty districts of Madhya Pradesh. The approved questionnaire is to be used for the purpose of data collection from the beneficiaries. The enumerator (the person who collects data) should be ***neutral and not biased*** in the process. The methods for sampling and data collection are explained in this document.

Sampling – *Systematic random Sampling* with standard size of *20% of total beneficiaries* under Kapildhara Scheme.

How to select the sample: Prepare a database of all the Kapildhara beneficiaries in MS Excel. Calculate the percentage of representation of various castes in the database and the same should reflect in the sample selected.

For example, we have a database of 100 beneficiaries of which 50 are ST, 30 are SC and 20 from other castes, then if we are taking a sample of 20% then it should reflect 50% ST, 30% SC and 20% other castes. i.e. we have a sample of 20 beneficiaries. then 10 should be ST, 6 should be SC and 4 should be from other castes.

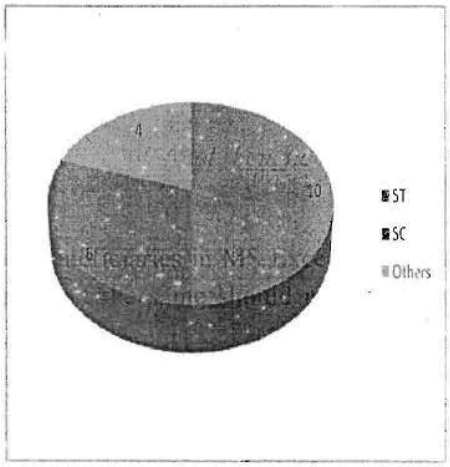

Total beneficiaries

Selected Sample (20%)

This means that we would have to prepare lists of beneficiaries, caste wise and select beneficiaries according to the desired/calculated sample size in each category.

For example, your district has 100 kapildhara beneficiaries of which 50 are ST, 30 are SC and 20 are others. So the representative sample should have 20 beneficiaries in total in which you need to have representation of all the categories in the exact same proportion as in the total population. (refer the diagrams). We have the database of all the beneficiaries, categorise the list according to the caste. Then we must calculate the sample interval which would be like:

Sample size = 20; 50% ST=10

Sample interval = Total ST population/ST sample population; 50/10

Now you can randomly select any number between 1 to 5; for example 2, now you select the 2nd person in the list as the first sample, then every fifth person after him i.e. 2nd, 7th, 12th, 17th and so on.

Follow the same process for selecting samples from SC as well as Others.

SC=30% of 20=6 ; sample interval = 30/6=5. Then the sample should be selected like any person between 1-5 in the SC list would be the first person, 3rd, 8th 13th,18th and so on.

If the sample interval is 10, select a number randomly between 1-10; if 20, then between 1-20 and so on.

Data Collection:

Once the sample selection is done, the deputed enumerators can go to the beneficiaries selected through the above process. The ***enumerators should be very clear*** about each question and should use their skills in elicit responses from the beneficiary. Some questions may not get proper responses like if we ask the beneficiary about their income and expenditure or the increase in production etc they might not give a clear answer. Then the enumerator should be skilled enough to ***put the question in a different way***. For example, if we want to know about the change in production, pre and post Kapildhara, the enumerator can put the question like how many sacks of crops did they sell, used for household purposes etc. For getting answers to some questions like construction of recharge pit, its functionality etc, the enumerator should ***go to the field*** and see for himself in addition to the responses from the beneficiary.

Make sure that all questions are asked and recorded properly. The entries in the formats should be clear and legible. ***Use codes wherever it's given***.

In case of queries, you can always revert back to PMRDFs, Shahdol at Rajesh Singh rajeshsingh11041986@gmail.com (8602224111) & Rejani Pavithran rejani.pavithran@gmail.com (9826114636)